

06.02.2024

पत्रावली वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मिसल तलबी व जरिये विड्रो खारिज करने पर आज पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि प्रकरण में आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। इसलिए अपीलांट्स इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है। अतः निवेदन स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील जरिये विड्रो खारिज की जावे।

अपीलांट्स के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट्स के कथनानुसार मामले में समझाईश हो जाने से अपीलांट द्वारा अपील आगे नहीं चलाये जाने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट जरिये विड्रो खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रति सूचनार्थ भिजवायी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दारिखल दफ़तर हो।

06.02.24
राजस्व अंश प्रशासक
जोधपुर